

05 अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या-27/20-21-(11)

04

दिनांक

आदेश फलक

अभियुक्ति

03/09/2020

वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-..... थाना नं०-47, खाता संख्या-69, प्लॉट

संख्या-1402, रकबा-1.70 (10) एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ

खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी

उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-1 के पृष्ठ संख्या-249 पर

जमाबंदी रैयत शमा रजवा पिता शेपन (सवा) के नाम से

कायम है।

हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-19/09/2020 को उपस्थापित करें।

03/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

0/2020

अभिज्ञेय उपसमाप्ति। अतः अभिज्ञेय द्वारा विहित विधि को अनुसृत्य
उक्त जमादती रकम को अदायगी के द्वारा उक्त भूमि में अर्जित किसी प्रकार का वसुलीय
अभिलेख नहीं किया गया और न ही अदायगी का ही कोई कार्य।

अतः उक्त जमादती को अर्जित करने हेतु उक्त विभाग (अनुसंधान) भूमि सुका अभिलेख
1450 की धारा 4(1) के तहत जमादती को न करने हेतु अनुसंधान की जाती है। अर्जित
कार्यवाई हेतु अभिज्ञेय भूत से भूमि सुका उपसमाप्ति को करें।

19/1/20
अभिज्ञेय
अभिज्ञेय